शिकायत अपील प्रकरण क्रमांक सी/306/2014

श्री रामचंद्र राय, **– शिकायतकर्ता**
क्वा नं0 HIG-29,
सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर,
साडा कालोनी, जमनीपाली,
जिला कोरबा (छ0ग0)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, **– अनावेदक कं0 01**
कार्यालय मुख्य अभियंता,
(मा. संसाधन) छ0ग0रा0वि0उ0कं0 मर्या0
रायपुर जिला रायपुर (छ0ग0)

–:: आदेश ::–
(पारित दिनांक : 30/09/2014)

यह शिकायत, शिकायतकर्ता श्री रामचंद्र राय द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 18 के अंतर्गत अनावेदक जनसूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, (मा.संसाधन) छ0ग0 राज्य विद्युत उ0कं0 मर्या0 रायपुर जिला रायपुर (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि शिकायतकर्ता ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन पत्र दिनांक 25.1.14 प्रस्तुत कर अनावेदक से निम्नानुसर जानकारी मांगी थीः–

''जिस नियम के तहत् श्री एस0आर जायसवाल के पदोन्नति प्रकरण में उनकी गोपनीय चरित्रावली वर्ष 2010–11 को भी विचार में लेकर दिनांक 15.7.2011 को उनका पदोन्नति किया गया, उसी नियम के तहत उसी दिन 15.7.2011 को निकाले गये दूसरे आदेश के लिए (जिसमें मुझको पदोन्नति से वंचित कर दिया गया) मेरे पदोन्नति प्रकरण में भी मेरी गोपनीय चरित्रावली वर्ष 2010–11 को भी श्री जायसवाल के प्रकरण जैसा विचार में नहीं लिया गया। गोपनीय चरित्रावली के मापदंड तय करने में मेरे प्रकरण में एवं श्री जायसवाल के प्रकरण में भेदभाव किया गया है। (श्री जायसवाल को गोपनीय चरित्रावली वर्ष 2010–11 को विचार में लेना एवं मेरी गोपनीय चरित्रावली वर्ष 2010–11 को विचार में नहीं लेना) अतः कृपया इस अन्याय एवं भेदभाव का कारण बतावें।''

इसके प्रत्युत्तर में अनावेदक जनसूचना अधिकारी ने पत्र दिनांक 10.2.2014 अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए सूचित किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार द्वारा सूचना मांगने वालों के लिए जारी दिशा निर्देश की कंडिका कं0 4 के अनुसार '' सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोकप्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना

अपेक्षित नहीं है। तथापि सूचना का अधिकार नियमों के अंतर्गत निर्धारित शुल्क जमा कर पूर्व नियोजित समय में इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण किया जा सकता है।

प्राप्त जानकारी से असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई है। शिकायत में शिकायतकर्ता ने पावर कंपनी से मांगे गये जानकारी (पदोन्नति के दरमियान हुए भेदभाव का कारण) उपलब्ध कराने की मांग की है।

अनावेदक को सूचना पत्र जारी कर आहूत किया गया। दिनांक 29.9.2014 को अनावेदक श्री राजीव झा, जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए। उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उन्हें सुना भी गया। जवाब में लेख है कि शिकायतकर्ता को कार्यालय के पत्र दिनांक 10.2.2014 के द्वारा जवाब दिया गया है तथा पत्र में यह भी लेख किया गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क जमा कर पूर्व नियोजित समय में इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण किया जा सकता है। किंतु शिकायतकर्ता अभिलेखों का निरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुए।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अनावेदक का शिकायतकर्ता/आवेदक को दिया गया जवाब संतोषप्रद पाया जाता है। शिकायतकर्ता/आवेदक ने जो सूचना/जानकारी मांगी थी उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वे उनके अनुसार पदोन्नति में जो भेदभाव हुआ है उसका कारण जानना चाहते हैं। इस तरह की सूचना/जानकारी जिसमें कोई निष्कर्ष निकालना हो या जानकारी बनाकर देना हो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत देना अपेक्षित नहीं है। यदि कारण बताना होगा तो जनसूचना अधिकारी को अपना निष्कर्ष सूचित करना होगा जो जानकारी सृजित करने के बराबर है जो अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी देना अपेक्षित है। निष्कर्ष निकालकर देना, सृजित कर जानकारी देना अपेक्षित नहीं है। इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण सिविल अपील नं. 6454/2011, एस.एल.पी.नं. 7526/2009 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन एवं अन्य विरूद्ध आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य में पारित आदेश से भी होती है। जिसमें पाया गया है कि केवल रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी देना ही अपेक्षित है। उसे एकत्रित COLLECT कर या COLLATE कर देना या निष्कर्ष निकालकर देना, राय देना आदि अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अग्रिम कोई कार्यवाही आवश्यक न पाते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

आदेश तद्नुरूप।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त